बालिका शिक्षा सत्र 2019–20

1. कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय

अवधारणा एवं उद्देश्य -

केजीबीवी विद्यालयों का उद्देश्य वंचित वर्ग की उन बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ना है, जो कठिन परिस्थितियों और दुर्गमवास स्थलों में रहते हुए किसी कारणवश (यथा सामाजिक, पारिवारिक आदि) विद्यालय नही जा सकीं अथवा जिनकी आयु कक्षा में अध्ययनरत बालिकाओं से अधिक हो चुकी है। केजीबीवी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक तथा बीपीएल परिवारों की बालिकाओं के लिए विद्यालयों के साथ निःशुल्क आवासीय सुविधा दी जाती है।

केजीबीवी योजना कक्षा 6 से 8 हेतु सत्र 2004–05 लागू की गयी जिसके अन्तर्गत राजस्थान में कुल 186 शैक्षणिक पिछडे ब्लॉक्स में और 14 अल्पसंख्यसक बाहुल्य क्षेत्र मे समस्त 200 केजीबीवी 2007 से संचालित हैं। केजीबीवी का विस्तार कक्षा 9 से 12 हेतु बालिका छात्रावास योजना के अन्तर्गत 2009–10 में समस्त 186 शैक्षणिक पिछडे ब्लॉक्स किया गया। सत्र 2018–19 में समग्र शिक्षा के अन्तर्गत केजीबीवी एवं बालिका छात्रावास को एकीकृत करते हुए वर्तमान में राज्य में कुल 319 केजीबीवी संचालित है।

2001 की जनगणना अनुसार सभी शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉको में जहां ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है एवं जहां साक्षरता में जेण्डर गेप राष्ट्रीय औसत से अधिक है वहां कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय खोले जाने का प्रावधान किया गया है।

संरचना -

समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सत्र 2019–20 में राजस्थान में कुल 319 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों का संचालन निम्नानुसार किया जा रहा हैं। वर्तमान में 319 केजीबीवी में लक्ष्य 38,700 बालिकाओं के लक्ष्य के विरूद्ध 38,760 बालिकाऐं लाभान्वित हो रही हैं।

Districts	KGBV Type-1 (Class 6-8)	KGBV Type-3 (Class 6-12)			KGBV Type-4 (Class 9-12)	Grand Total
	For 100 Girls	For 200 Girls	For 250 Girls	Total	For 100 Girls	
33	91	107	2	109	119	319

केजीबीवी में बालिकाओं हेतु सुविधाएं

- सभी बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा एवं सुरक्षित आवास व्यवस्था।
- सभी बालिकाओं को दोनों समय मेन्यू अनुसार भोजन तथा नाश्ते की व्यवस्था।
- पुस्तकें एवं शिक्षण सामग्री।
- विद्यालय पोशाक, रंगीन पोशाक, ब्लेजर, जूते-मोजे एवं अन्य आवश्यकता की वस्तुएं (कक्षा 6 से 8 हेतु)
- दैनिक उपयोगी वस्तुएं यथा साबुन, तेल, तौलिया, टूथ-पेस्ट, कंघा, चप्पल, सेनेटरी नेपकिन इत्यादि।
- प्रतिमाह 150/- स्टाइफण्ड राशि (कक्षा 6 से 8 हेतु)

केजीबीवी में किये जा रही महत्वपूर्ण पहल

- बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण।
- एन.आई.ओ.एस. के माध्यम से बालिकाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण पर सर्टिफिकेट कोर्स (कटिंगए टेलरिंग एण्ड ब्यूटी कल्चर)।(कक्षा 6 से 8 हेतु)
- स्काउट-गाईड गतिविधि।(कक्षा 6 से 8 हेतु)
- खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओ को विद्यालय स्तर से राज्य स्तर तक आयोजन।
- केजीबीवी विद्यालयों में शैक्षिक किशोरी मेलों का आयोजन।
- केजीबीवी छात्राओं हेतु अन्तर जिला भ्रमण कार्यक्रम।(कक्षा 6 से 8 हेतु)
- बालिकाओं की सुरक्षा एवं संवेदनशीलता हेतु चौकीदार के अतिरिक्त समस्त स्टाफ महिला।

केजीबीवी की उपलब्धियां

- लक्षित नामांकन 38,700 के सापेक्ष 38,760 बालिकाएं नामांकित हैं।
- सत्र 2018-19 में बालिकाओं की शैक्षणिक उपलब्धि सराहनीय रही है। कक्षा 8 में परिणाम शत-प्रतिशत रहा है। कक्षा 10 में 80 प्रतिशत बालिकाएं उत्तीर्ण हुई। कक्षा 12 में कला वर्ग में 92 प्रतिशत, विज्ञान वर्ग में 94 प्रतिशत एवं वाणिज्य वर्ग में परिणाम 63 प्रतिशत रहा।
- बालिकाओं को शैक्षणिक उपलब्धि के कारण विभिन्न प्रोत्साहन भी प्राप्त हुए हैं। जावाल केजीबीवी (सिरोही) से बालिका पप्पी गरासिया को कक्षा 10 की उपलब्धि 97 प्रतिशत के कारण स्कूटी प्राप्त हुई। केजीबीवी टिब्बी (हनुमानगढ़) से छात्रा को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरूस्कार प्राप्त हुआ।
- बालिकाओं ने कौशल विकास कोर्स के फलस्वरूप बालिकाओं में ब्यूटी कल्चर, बुटिक में रोजगार बनाया है।
- शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात बालिकाओं अपनी राहे चुनी हैं। आज बहुत सी बालिकाओं ने पुलिस सेवा, शिक्षण सेवा, मेडिकल सेवा, ग्राम पंचायत सेवाओं आदि में पहचान बनायी हैं।

- बालिकाओं की प्रतिभाओं को बढावें के अवसर से राज्य स्तर पर खेलकूद प्रतियोगितओं में पहचान मिली है। बालिकाओं को अपने जिले से बाहर जाने राज्य के धरोहर एवं संस्कृति को जानने के मौके मिले।
- जेण्ड़र जैसे जटिल मुद्दों पर मीना मंच के माध्यम से समझ बनी है, और बालिकाओं ने सामाजिक कुरूतियां बाल विवाहए दहेजप्रथा, लैंगिक भेदभाव आदि के विरूद्व आवाज उठायी हैं।

2. बालिका शिक्षा कार्यक्रम

2.1 बालिकाओं हेतु आत्मरक्षा प्रशिक्षण (सक्षम)

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की बालिकाओं को मानसिक एवं शारीरिक रूप से आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षित करने हेतु राज्य के सभी जिलों में 'सक्षम' अभियान (आत्मरक्षा प्रशिक्षण) गत सत्रों से संचालित है। जिस हेतु राजकीय विद्यालयों के शिक्षिकाओं/शिक्षकों को प्रशिक्षित कर बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि बालिकाओं को सत्र पर्यन्त एवं आगामी सत्रों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण का नियमित अभ्यास करवाया जा सके। साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य एवं पोषण, जेण्ड़र, सुरक्षा एवं बाल अधिकारों पर भी बालिकाओं में जागरूकता लायी जा सके।

वर्तमान सत्र 2019–20 में 19706 उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं 200 केजीबीवी, एवं 13704 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नामांकित समस्त बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिये जाने हेतु गतिविधि का संचालन किया जा रहा है।

2.2 बालिकाओं का सशक्तिकरण

क. विद्यालय में मीना-राजू मंच एवं गार्गी मंच का संचालन

शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने एवं जेण्ड़र संवेदी वातावरण बनाने हेतु पूर्व के सत्रों की भांति सत्र 2019–20 में समस्त 19706 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 में मीना-राजू मंच का संचालन किया जा रहा है। इसी प्रकार 13704 माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 हेतु गार्गी मंच का संचालन किया जा रहा है।

इन मंच में शिक्षा का अधिकार, जेण्डर समानता, बाल-सुरक्षा आदि विषयवस्तु पर बालिका-बालक को जागरूक किया जाता है। जिससे बच्चे, विशेषकर बालिकाएं, शिक्षा में बाधक वर्तमान एवं संभावित चुनौतियों को समझ कर उस पर बातचीत करें तथा अपने बाल-अधिकारों को जानें और

सामूहिक समाधान ढूँढ़ सके। कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं के साथ गार्गी मंच में उक्त विषयवस्तु के अतिरिक्त करियर विकल्पों पर चर्चा भी की जाती है।

ख. जेण्डर संवेदी वातावरण निर्माण हेतु अध्यापिका मंच -

अध्यापिका मंच ब्लॉक स्तर पर 100 अध्यापिकाओं का समूह है जो कि विभिन्न कार्यशालाओं एवं बैठकों के माध्यम से मंच के सदस्यों की जेण्डर संवेदीकरण एवं बाल सुरक्षा व अधिकार पर क्षमता अभिवर्द्धन करती है।

अध्यापिका मंच गतिविधि के अन्तर्गत इस मंच की सदस्या अध्यापिकाओं के विद्यालयों में निम्नलिखित दो क्षेत्रों पर विशेष रूप से कार्य किया जा रहा है - (1) विद्यालय में सुरक्षितए बाल-मैत्रिक एवं जेण्ड़र संवेदी वातावरण की शर्तें (इंडिकेटर) तय कर उसे लागू करना। (2) बालक-बालिकाओं के साथ समाज एवं व्यक्तिगत जीवन से जुड़े मुद्दों/चुनौतियों पर चर्चा /क्रिटिकल डायलॉग करना और तय इंडीकेटर/शर्तों को लागू करना।

प्रकोष्ठ में पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारीगण की सूचना:-

क्र.सं.	**पदस्थापित अधिकारी का नाम**	**पद**	**मोबाईल नं0**
1	अख्तर मेंहदी रिजवी	उपनिदेशक, बालिका शिक्षा	8058170786
2	डॉ0 धर्मवीर सिंह	सहायक निदेशक, बालिका शिक्षा	9571172207
3	डॉ0 सुनीता चौधरी	सहायक निदेशक, बालिका शिक्षा	7014527885

समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत बालिका शिक्षा हेतु संचालित कार्यक्रम
सत्र 2019–20

1. कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय

अवधारणा एवं उद्देश्य –

केजीबीवी विद्यालयों का उद्देश्य वंचित वर्ग की उन बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ना है, जो कठिन परिस्थितियों और दुर्गमवास स्थलों में रहते हुए किसी कारणवश (यथा सामाजिक, पारिवारिक आदि) विद्यालय नही जा सकीं अथवा जिनकी आयु कक्षा में अध्ययनरत बालिकाओं से अधिक हो चुकी है। केजीबीवी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक तथा बीपीएल परिवारों की बालिकाओं के लिए विद्यालयों के साथ निःशुल्क आवासीय सुविधा दी जाती है।

केजीबीवी योजना कक्षा 6 से 8 हेतु सत्र 2004–05 लागू की गयी। जिसके अन्तर्गत राजस्थान में कुल 186 शैक्षणिक पिछड़े ब्लॉक्स में और 14 अल्पसंख्यसक बाहुल्य क्षेत्र मे समस्त 200 केजीबीवी 2007 से संचालित हैं। केजीबीवी का विस्तार कक्षा 9 से 12 हेतु बालिका छात्रावास योजना के अन्तर्गत 2009–10 में समस्त 186 शैक्षणिक पिछड़े ब्लॉक्स किया गया। सत्र 2018–19 में समग्र शिक्षा के अन्तर्गत केजीबीवी एवं बालिका छात्रावास को एकीकृत करते हुए वर्तमान में राज्य में कुल 319 केजीबीवी संचालित है।

2001 की जनगणना अनुसार सभी शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉको में जहां ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है एवं जहां साक्षरता में जेण्डर गेप राष्ट्रीय औसत से अधिक है वहां कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय खोले जाने का प्रावधान किया गया है।

संरचना –

समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सत्र 2019–20 में राजस्थान में कुल 319 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों का संचालन निम्नानुसार किया जा रहा हैं। वर्तमान में 319 केजीबीवी में लक्ष्य 38,700 बालिकाओं के लक्ष्य के विरूद्ध 38,760 बालिकाऐं लाभान्वित हो रही हैं।

Districts	KGBV Type-1 (Class 6-8)	KGBV Type-3 (Class 6-12)			KGBV Type-4 (Class 9-12)	Grand Total
	For 100 Girls	For 200 Girls	For 250 Girls	Total	For 100 Girls	
33	91	107	2	109	119	319

केजीबीवी में बालिकाओं हेतु सुविधाएं

- सभी बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा एवं सुरक्षित आवास व्यवस्था।
- सभी बालिकाओं को दोनों समय मेन्यू अनुसार भोजन तथा नाश्ते की व्यवस्था।
- पुस्तकें एवं शिक्षण सामग्री।
- विद्यालय पोशाक, रंगीन पोशाक, ब्लेजर, जूते–मोजे एवं अन्य आवश्यकता की वस्तुएं (कक्षा 6 से 8 हेतु)
- दैनिक उपयोगी वस्तुएं यथा साबुन, तेल, तौलिया, टूथ–पेस्ट, कंघा, चप्पल, सेनेटरी नेपकिन इत्यादि।
- प्रतिमाह 150/– स्टाइफण्ड राशि (कक्षा 6 से 8 हेतु)

केजीबीवी में किये जा रही महत्वपूर्ण पहल

- बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण।
- एन.आई.ओ.एस. के माध्यम से बालिकाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण पर सर्टिफिकेट कोर्स (कटिंग, टेलरिंग एण्ड ब्यूटी कल्चर)।(कक्षा 6 से 8 हेतु)
- स्काउट–गाईड गतिविधि।(कक्षा 6 से 8 हेतु)
- खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओ को विद्यालय स्तर से राज्य स्तर तक आयोजन।
- केजीबीवी विद्यालयों में शैक्षिक किशोरी मेलों का आयोजन।
- केजीबीवी छात्राओं हेतु अन्तर जिला भ्रमण कार्यक्रम।(कक्षा 6 से 8 हेतु)
- बालिकाओं की सुरक्षा एवं संवेदनशीलता हेतु चौकीदार के अतिरिक्त समस्त स्टाफ महिला।

केजीबीवी की उपलब्धियां

- लक्षित नामांकन 38,700 के सापेक्ष 38,760 बालिकाएं नामांकित हैं।
- सत्र 2018–19 में बालिकाओं की शैक्षणिक उपलब्धि सराहनीय रही है। कक्षा 8 में परिणाम शत–प्रतिशत रहा है। कक्षा 10 में 80 प्रतिशत बालिकाएं उत्तीर्ण हुई। कक्षा 12 में कला वर्ग में 92 प्रतिशत, विज्ञान वर्ग में 94 प्रतिशत एवं वाणिज्य वर्ग में परिणाम 63 प्रतिशत रहा।
- बालिकाओं को शैक्षणिक उपलब्धि के कारण विभिन्न प्रोत्साहन भी प्राप्त हुए हैं। जावाल केजीबीवी (सिरोही) से बालिका पप्पी गरासिया को कक्षा 10 की उपलब्धि 97 प्रतिशत के कारण स्कूटी प्राप्त हुई। केजीबीवी टिब्बी (हनुमानगढ़) से छात्रा को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरूस्कार प्राप्त हुआ।
- बालिकाओं ने कौशल विकास कोर्स के फलस्वरूप बालिकाओं में ब्यूटी कल्चर, बुटिक में रोजगार बनाया है।
- शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात बालिकाओं अपनी राहे चुनी हैं। आज बहुत सी बालिकाओं ने पुलिस सेवा, शिक्षण सेवा, मेडिकल सेवा, ग्राम पंचायत सेवाओं आदि में पहचान बनायी हैं।
- बालिकाओं की प्रतिभाओं को बढावें के अवसर से राज्य स्तर पर खेलकूद प्रतियोगितओं में पहचान मिली है। बालिकाओं को अपने जिले से बाहर जाने राज्य के धरोहर एवं संस्कृति को जानने के मौके मिले।

- जेण्ड़र जैसे जटिल मुद्दों पर मीना मंच के माध्यम से समझ बनी है, और बालिकाओं ने सामाजिक कुरूतियां बाल विवाह, दहेजप्रथा, लैंगिक भेदभाव आदि के विरूद्व आवाज उठायी हैं।

2. बालिका शिक्षा कार्यक्रम

2.1 बालिकाओं हेतु आत्मरक्षा प्रशिक्षण (सक्षम)

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की बालिकाओं को मानसिक एवं शारीरिक रूप से आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षित करने हेतु राज्य के सभी जिलों में 'सक्षम' अभियान (आत्मरक्षा प्रशिक्षण) गत सत्रों से संचालित है। जिस हेतु राजकीय विद्यालयों के शिक्षिकाओं/शिक्षकों को प्रशिक्षित कर बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि बालिकाओं को सत्र पर्यन्त एवं आगामी सत्रों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण का नियमित अभ्यास करवाया जा सके। साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य एवं पोषण, जेण्ड़र, सुरक्षा एवं बाल अधिकारों पर भी बालिकाओं में जागरूकता लायी जा सके।

वर्तमान सत्र 2019–20 में 19706 उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं 200 केजीबीवी, एवं 13704 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नामांकित समस्त बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिये जाने हेतु गतिविधि का संचालन किया जा रहा है।

2.2 बालिकाओं का सशक्तिकरण

क. विद्यालय में मीना–राजू मंच एवं गार्गी मंच का संचालन

शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने एवं जेण्ड़र संवेदी वातावरण बनाने हेतु पूर्व के सत्रों की भांति सत्र 2019–20 में समस्त 19706 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 में मीना–राजू मंच का संचालन किया जा रहा है। इसी प्रकार 13704 माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 हेतु गार्गी मंच का संचालन किया जा रहा है।

इन मंच में शिक्षा का अधिकार, जेण्डर समानता, बाल–सुरक्षा आदि विषयवस्तु पर बालिका–बालक को जागरूक किया जाता है। जिससे बच्चे, विशेषकर बालिकाएं, शिक्षा में बाधक वर्तमान एवं संभावित चुनौतियों को समझ कर उस पर बातचीत करें तथा अपने बाल–अधिकारों को जानें और सामूहिक समाधान ढूँढ़ सके। कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं के साथ गार्गी मंच में उक्त विषयवस्तु के अतिरिक्त करियर विकल्पों पर चर्चा भी की जाती है।

ख. जेण्डर संवेदी वातावरण निर्माण हेतु अध्यापिका मंच –

अध्यापिका मंच ब्लॉक स्तर पर 100 अध्यापिकाओं का समूह है जो कि विभिन्न कार्यशालाओं एवं बैठकों के माध्यम से मंच के सदस्यों की जेण्डर संवेदीकरण एवं बाल सुरक्षा व अधिकार पर क्षमता अभिवर्द्धन करती है।

अध्यापिका मंच गतिविधि के अन्तर्गत इस मंच की सदस्या अध्यापिकाओं के विद्यालयों में निम्नलिखित दो क्षेत्रों पर विशेष रूप से कार्य किया जा रहा है – (1) विद्यालय में सुरक्षित, बाल–मैत्रिक एवं जेण्ड़र संवेदी वातावरण की शर्तें (इंडिकेटर) तय कर उसे लागू करना। (2) बालक–बालिकाओं के साथ समाज एवं व्यक्तिगत जीवन से जुड़े मुद्दों/चुनौतियों पर चर्चा /क्रिटिकल डायलॉग करना और तय इंडीकेटर/शर्तों को लागू करना।

प्रकोष्ठ में पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारीगण की सूचना :–

क्र.सं.	पदस्थापित अधिकारी का नाम	पद	मोबाईल नं0
1	अख्तर मेंहदी रिजवी	उपनिदेशक, बालिका शिक्षा	8058170786
2	डॉ0 धर्मवीर सिंह	सहायक निदेशक, बालिका शिक्षा	9571172207
3	डॉ0 सुनीता चौधरी	सहायक निदेशक, बालिका शिक्षा	7014527885